न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 97/2019

प्रार्थी

नरसीगाराम पुत्र रामाराम जाति कलबी निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पांचा पुत्र अचला
2. लिक्ष्मणा पुत्र अचला
3. विरमा पुत्र अचला
4. तगाराम पुत्र पीराराम
5. तेजाराम पुत्र पीराराम
6. शैतानराम पुत्र पीराराम
7. माधुसिंह पुत्र हमीरसिंह
8. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह
9. दिलीपसिंह पुत्र गणपतसिंह
10. छगनकंवर पत्नी गणपतसिंह
11. वीराराम पुत्र मनजीराम
12. चेलाराम पुत्र भावाराम
13. गंगाराम पुत्र भावाराम
14. देवाराम पुत्र भावाराम
15. जगु पुत्र पुनमा
16. गेना पुत्र पुनमा
17. सोनी देवी पत्नी केवदाराम
18. केवदा पुत्र गुणेशा
19. जोरा पुत्र गेना
20. सावला पुत्र गेना
    निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाउमेर
21. तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री अशोक कुमार सारण अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश [illegible]र गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित [illegible] से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:32:20 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी की विद्धान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा बांटा पटवार मण्डल बांटा तहसील

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 302 व 318 रकबा 6—13 व 13—08 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बांटा पटवार मण्डल बांटा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा खसरा नम्बर 302 व 318 रकबा क्रमशः 06—13 व 13—08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24/2/2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:42:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी